

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी 2026 — माघ 21, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/11746/2025-HEALTH SECTION-2. - औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) की धारा 21 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री सतीश कुमार सोनी एवं श्री लुकेश कुमार साहू, औषधि निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के अध्याय-4 औषधियों एवं प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, विक्रय और वितरण के प्रयोजन हेतु, उनकी संबंधित अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए निरीक्षक के रूप में भी कार्य करने हेतु नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार चौधरी, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2026

क्रमांक ESTB/11746/2025-HEALTH SECTION-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार चौधरी, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 4th February 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/11746/2025-HEALTH SECTION-2. - In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 21 of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints Shri Satish Kumar Soni & Shri Lukesh Kumar Sahu, Drug Inspectors also to act as Inspector for the purpose of Chapter-IV Manufacturer, Sale and Distribution of Drugs and Cosmetics of the said Act, for the areas within their respective jurisdictions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR CHOUDHARY, Deputy Secretary.